राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4804 / 2022

संतरा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।
2. निदेशक, (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरू।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.11.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी एएनएम के पद पर पदस्थापित है। आलोच्य आदेश दिनांक 16.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण / पदस्थापन जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी चूरू से नारी निकेतन अजमेर में किया गया है। उनका तर्क है कि आलोच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी को नारी निकेतन, अजमेर में एएनएम के पद पर लगाया गया है, जबकि उक्त पद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का पद नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सृजित पद है। जिसके संबंध में निम्न निर्देश आलोच्य आदेश दिनांक 16.09.2022 में दिये गये हैः–''निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर को उनके पद पर दिनांक 25.05.2022 के संदर्भ में प्रेषित कर उक्त कार्मिकों का वेतन नियमानुसार आपके विभाग में सृजित एएनएम के पद से आहरित करावे।''

3. उनका तर्क है कि उपरोक्त निर्देशों से भी प्रकट होता है कि अपीलार्थी को अपने विभाग से स्थानांतरित करके अन्य विभाग में पदस्थापित किया गया है। इस प्रकार का स्थानांतरण किया जाना अवैध है। ऐसे में अपीलार्थी को दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है, जिसके लिए अपीलार्थी की कोई स्वीकृति नहीं ली गई है एवं अपीलार्थी का स्थानांतरण राजस्थान सेवा नियम 1951, के नियम 141 के उल्लंघन में जारी किया गया है। अतः अपील ग्राह्य कर आलोच्य आदेश दिनांक 16.09.2022 की क्रियान्विति को अपीलार्थी के संबंध में स्थगित किया जावे।
4. विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 4451/2002 श्रीमती शशि मेहता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य का दृष्टांत प्रस्तुत किया।
5. हमनें विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली एवं प्रस्तुत विनिश्चय का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।
6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क कि अपीलार्थी का स्थानांतरण राजस्थान सेवा नियम 1951, के नियम 141 के के उल्लंघन में है।

   हमारे द्वारा नियम 141 आरएसआर का अवलोकन किया गया, जो निम्न प्रकार से है :–

   ''वैदेशिक सेवा के लिए कर्मचारी की सहमति : किसी राज्य कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरूद्ध वैदेशिक सेवा में स्थानांतरित नहीं किया जायेगा, किंतु यह नियम उन राज्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिनकी सेवाएं किसी ऐसे निगम अथवा निकायों में स्थानांतरित करनी होती है, जिन पर सरकार स्वामित्व अथवा नियंत्रण पूर्ण या आंशिक रूप से हो तथा जहां एक कर्मचारी का स्थानांतरण ऐसी सेवा में करना हो, जिसका भुगतान राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 37) के अंतर्गत गठित पंचायत समिति एंव जिला परिषद निधि से किया जाता है।''
7. उपरोक्त नियम से प्रकट होता है कि नियम 141 वैदेशिक सेवा के लिए है। वैदेशिक सेवा नियम 7 (10) में परिभाषित किया गया है जो निम्न प्रकार है :–

''वैदेशिक सेवा का तात्पर्य उस सेवा अवधि से है, जिसमें एक राज्य कर्मचारी अपना वेतन तथा सभी भत्ते आदि सरकार की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है।''

8. उपरोक्त दोनों नियमों को साथ में पढ़े जाने से प्रकट होता है कि कार्मिक की सहमति तभी आवश्यक होगी, जब कर्मचारी का स्थानांतरण वैदेशिक सेवा के लिए किया जाये। वैदेशिक सेवा वह सेवा मानी गई है, जिसमें कार्मिक अपना वेतन तथा सभी भत्ते आदि सरकार से संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोत से प्राप्त करे। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी को एक विभाग से दूसरे विभाग में पदस्थापन कर लगाया गया है, जिस विभाग में अपीलार्थी को पदस्थापित किया गया है, वहां उसके वेतन आदि अपीलार्थी को सरकार की निधि से ही प्राप्त होने हैं। ऐसे में वर्तमान पदस्थापन वैदेशिक सेवा के लिए किया गया होना नहीं माना जा सकता। अतः अपीलार्थी पर राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 141 लागू नहीं होता है। अपीलार्थी की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है।
9. जहां तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती शशि मेहता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय का संबंध है, उक्त प्रकरण में नियम 141 के संबंध में है, जबकि प्रस्तुत प्रकरण में नियम 141 लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य पदस्थापन आदेश पारित किये जाने में किसी प्रकार की नियम विरूद्धता एवं विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है।
10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।
11. आदेश आज दिनांक 11.11.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)